कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

मोबाईल नम्बर–9456597981, फोन नम्बर–0135–2654900

ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com

दिनांक: अप्रैल 02, 2026

पत्रांक: न–20/असुव्य (223)/2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL
JHANDA BAZAR TALAB, DEHRADUN
जनपद–देहरादून।

विषय **शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े।**

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:–46243431 दिनांक: 23.03.2026 जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 26.03.2026 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था **फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, फायर अलार्म, फायर पम्प इत्यादि** कार्यशील दशा में पायी गयी। भवन/संस्थान एक ***शैक्षणिक भवन*** है। भवन/संस्थान में ***भूतल एवं प्रथम तल*** है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या–304272/XX-3/2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 06 जून, 2025 के अनुपालन में **दिनांक: 02 अप्रैल 2026 से 01 अप्रैल 2029 (03 वर्ष)** तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तो का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. **प्रश्नगत भवन/संस्थान को दिनांक जुलाई 22, 2022 में नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत की गई थी। यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में निर्मित भवन को प्रदान किये गये अग्निशमन अनापत्ति के नवीनीकरण हेतु प्रदान किया जा रहा है। यदि सम्बन्धित भवन या अधिमोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।**
2. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.–2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड/ईमेल (cfoddn.ukfs@gmail.com) करना अनिवार्य है।
3. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
4. प्रत्येक स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
5. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
6. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
7. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
8. यदि भवन/संस्थान को जिस मानचित्र पर पूर्व संचालन (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी यदि उसके दर्शाये गये सैट बैक में स्थाई व अस्थाई निमार्ण कर अग्निशमन एंव रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एंव सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सुदृढ़ व्यवस्था हेतु लैब (कम्पयूटर, कैमेस्ट्री आदि) में क्लीन एजेन्ट बेस एक्सटिंग्यूसिंग सिस्टम, फोम एक्सटिंग्यूशर का का प्रावधान कराना अनिवार्य होगा। जिसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रथम स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

–क्रमशः 02–

Dr. Mrs. RAJESH ARORA
Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Talab, Dehradun
Affn No. ..., School No 81077

Authorised Signatory
SGRR EDUCATION MISSION, DEHRADUN